क्रम–संख्या—121(क–1)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 12 जुलाई, 2021

आषाढ़ 21, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

खाद्य एवं रसद अनुभाग–7

संख्या 266 / 29-7–2021

लखनऊ, 12 जुलाई, 2021

अधिसूचना

प0आ0–166

भारत के असाधारण राजपत्र में यथा प्रकाशित उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग), भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी निम्नलिखित अधिसूचना संख्या का0आ0 2674(अ), दिनांक 2 जुलाई, 2021, जनसामान्य को सूचनार्थ उत्तर प्रदेश के असाधारण गजट, भाग–4, खण्ड–(ख) में पुनः प्रकाशित की जाती है।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2021

का0आ0 2674(अ).–केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमाएं और संचलन प्रतिबंध हटाना आदेश, 2016 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :–

1– संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ –

(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमाएं और संचलन प्रतिबन्ध हटाना (संशोधन) आदेश, 2021 है।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2–विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमाएं और संचलन प्रतिबंध हटाना आदेश, 2016 में खण्ड 3 में उप-खण्ड (2) में, मद (i) में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''(i) दिनांक 31 अक्टूबर, 2021 तक की अवधि के लिए, सभी दालों (मूंग को छोड़कर) को, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में निम्नलिखित स्टॉक सीमाओं के साथ एक साथ रखा जायेगाः–

. थोक विक्रेता : 200 मीट्रिक टन (बशर्ते कि किसी एक किस्म की मात्रा 100 मीट्रिक टन से अधिक नहीं होनी चाहिए)

. खुदरा विक्रेता : 5 मीट्रिक टन

.मिलर : स्टॉक सीमा विगत 3 माह के उत्पादन अथवा वार्षिक संस्थापित क्षमता का 25%, इनमें से जो अधिक हो, होगी।

. आयातक :

o थोक विक्रेता के लिए लागू स्टॉक सीमा, दिनांक 15 मई, 2021 से पहले आयातित स्टॉक/स्टॉक में धारित मात्रा के लिए आयातकों पर लागू होगी।

o दिनांक 15 मई, 2021 के बाद आयात किए गए स्टॉक हेतु थोक विक्रेता के लिए प्रयोज्य स्टॉक सीमा, सीमा-शुल्क मंजूरी (कस्टम क्लीयरेंस) की तारीख से 45 दिनों के बाद लागू होगी।

3–यदि संबंधित विधिक इकाईयों द्वारा धारित स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है, तो उनके द्वारा इसकी घोषणा उपभोक्ता मामले विभाग के पोर्टल (fcainfoweb. nic. in) पर की जाएगी और इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्धारित स्टॉक सीमा तक लाई जाएगी।

4–यह सुनिश्चित किया जाएगा कि दालों के स्टॉक को नियमित रूप से घोषित किया जाए और इसे इस विभाग अर्थात उपभोक्ता मामले विभाग के पोर्टल पर अद्यतित किया जाए।

[फा**o**सं**o**एस-10/4/2016–ईसीआरएंडई]

अनुपम मिश्रा, संयुक्त सचिव।

नोट :– मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण भाग–II, खण्ड–3, उप-खण्ड (i) में सा0का0नि0 929(अ) तारीख 29 सितम्बर, 2016 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था और तदोपरांत इसमें का0आ0 3341(अ), तारीख 27 अक्टूबर, 2016, का0आ0 1288(अ), तारीख 25 अप्रैल, 2017 का0आ0 1600(अ), तारीख 17 मई, 2017, का0आ0 2785(अ), तारीख 25 अगस्त, 2017, का0आ0, 3136(अ), तारीख 27 सितम्बर, 2017, का0आ0 3397(अ), तारीख 23 अक्टूबर, 2017, का0आ0 3422(अ), तारीख 25 अक्टूबर, 2017, का0आ0 4079(अ), तारीख 27 सितम्बर, 2017 और का0आ0 2414(अ), तारीख 13 जून, 2018, का0आ0 2826(अ), तारीख 6 अगस्त, 2019, का0आ0 3540(अ), तारीख 29 सितम्बर, 2019, का0आ0 4298(अ), तारीख 28 नवम्बर, 2019, का0आ0 4341(अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2019, का0आ0 4417(अ), तारीख 10 दिसम्बर, 2019, का0आ0 4471(अ), तारीख 16 दिसम्बर, 2019, का0आ0 901(अ), तारीख 27 फरवरी, 2020 और का0आ0 3776(अ), तारीख 23 अक्टूबर, 2020, के माध्यम से संशोधित किए गए थे।

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम से

आज्ञा से,
वीना कुमारी,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 266/XXIX-7–2021, dated July 12, 2021:

No. 266/XXIX-7–2021

Dated Lucknow, July 12, 2021

THE following notification no. S.O. 2674(E), dated July 2, 2021 issued by the Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, New Delhi as published in the *Gazette* of India Extraordinary is republished in the Uttar Pradesh Extraordinary *Gazette* Part-4, Section(B) for the information of the general public.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

ORDER

New Delhi, the 2nd July, 2021

S.O. 2674(E) .– In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified foodstuffs Order, 2016, namely :–

1.Short title and commencement –

(1) This order may be called the Removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs (Amendment) Order, 2021.

(2) It shall come into force with immediate effect.

2. In the Removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs Order, 2016, in clause 3, in sub-clause (2), after the item (i) shall be *inserted*, namely :–

"(i) All Pulses put together (except Moong), for a period up to the 31st October, 2021 with following stock limits for all States and Union Territories:–

. Wholesaler : 200 MT (subject to condition that there should not be more than 100 MT of one variety)

. Retailer : 5 MT

. Millers : Stock limits will be last 3 months production or 25% of annual installed capacity, whichever is higher.

. Importers :

`Stock limit applicable to wholesaler will also apply to importers for stocks held in stock/imported prior to 15th May, 2021.

For Stocks imported after 15th May, 2021, Stock limit applicable to wholesaler, will apply after 45 days from date of customs clearance.

3. In case the stocks held by respective legal entites are higher than the prescribed limits then they shall declare the same on the portal (fcainfoweb. nic.in) of Department of Consumer Affairs and bring it to the prescribed stock limits within 30 days of the issue of this notification.

4. It shall be ensured that pulses stock is regularly declared and updated on the portal of this Department *i.e.* Department of Consumer Affairs.

[F. No. S 10/3/2016-ECR & E]

ANUPAM MISHRA, Jt. Secretary.

Note :– The principal order was published in the *Gazette* of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 929 (E), dated the 29th September, 2016 and was subsequently amended *vide* numbers S.O. 3341(E), dated the 27th October, 2016, S.O. 1288(E), dated the 25th April, 2017, S.O. 1600(E), dated the 17th May, 2017, S.O. 2785(E), dated the 25th August, 2017, S.O. 3136(E), dated the 27th September, 2017, S.O. 3397(E), dated the 23rd October, 2017, S.O. 3422(E), dated the 25th October, 2017, S.O. 4079(E), dated the 27th December, 2017 and S.O. 2414(E), dated the 13th June, 2018, S.O. 2826(E), dated the 6th August, 2019, S.O. 3540(E), dated the 29th September, 2019, S.O. 4298(E), dated the 28th November, 2019, S.O. 4341(E), dated the 3rd December, 2019, S.O. 4417(E), dated the 10th December, 2019, S.O. 4471(E), dated the 16th December, 2019, S.O. 901(E), dated the 27th Fubruary, 2020 and S.O. 3776(E), dated the 23rd October, 2020.

By order and in the name of the
Governor of Uttar Pradesh.

By order,
VEENA KUMARI,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 125 राजपत्र–2021–(248)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 2 सा0 खाद्य एवं रसद–2021–(249)–250 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।